# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

**पीठासीन अधिकारी:– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)**

**निर्णय**

प्रकरण सख्या : 9/2020

बउनवान:–

खेमेन्द्र सिंह तंवर पुत्र विजय बहादुर सिंह जाति राजपूत निवांसी श्रीनाल तह0 मांगरोल हाल तैल फैक्ट्रि बारां

...वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0 वास्ते नाम दुरूस्ती**

वकील वादी : श्री अजीत कुमार जैर

दायरा दिनांक: 28.01.2020 निर्णय दिनांक : 20.09.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी के शामलाती खाते की आराजी वाके ग्राम श्रीनाल चक में खाता संख्या 5 खसरा नं0 131/220 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 84 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 85 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 86 रकबा 0.05 है0 किता 4 कुल रकबा 0.96 है0 व खाता संख्या 7 खसरा नं0 63/122 रकबा 4.22 है0, खसरा नं0 63/140 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 76/121 रकबा 1.00 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.35 है0 दर्ज रेकार्ड हैं जो वादी के खाते दर्ज है। उक्त विवादित आराजी में वादी का नाम खेमेनद्र तंवर दर्ज हो रहा है जबकि वादी का वास्तविक नाम खेमेन्द्र सिंह है। वादी के अन्य दस्तावेजो आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, में वादी का नाम खेमेन्द्र सिंह दर्ज है। वादी सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पर रहा है। इसलिए वादी राजस्व रेकार्ड में खेमेन्द्र तंवर के स्थान पर खेमेन्द्र सिंह नाम शुद्ध करवाने का कानूनी अधिकारी है।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 28.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/राजस्व/2020/729 दिनांक 30.12.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम श्रीनालचक में खाता संख्या 7 में प्रार्थी का नाम खेमेन्द्र तंवर पुत्र विजय बहादुर जाति राजपूत एवं श्रीनालचक के खाता संख्या 5 में खेमेन्द्र तंवर पुत्र विजय बहादुर सिंह जाति राजपूत राजस्व रेकार्ड में खाते दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, आयकर विभाग, भामाशाह, ड्राईविंग लाईसेंस में प्रार्थी का नाम खेमेन्द्र सिंह दर्ज है अतः सही नाम खेमेन्द्र सिंह राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादी की दिनांक 20.09.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आदि से भी वादी का सही खेमेन्द्र सिंह होना जाहिर होता है। दस्तावेजात के पक्ष में गवाह वादी स्वयं के बयान करवाये गयें। जो शामिल पत्रावली है। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 20.09.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर आराजी आराजी वाके ग्राम श्रीनाल चक में खाता संख्या 5 खसरा नं0 131/220 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 84 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 85 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 86 रकबा 0.05 है0 किता 4 कुल रकबा 0.96 है0 व खाता संख्या 7 खसरा नं0 63/122 रकबा 4.22 है0, खसरा नं0 63/140 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 76/121 रकबा 1.00 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.35 है0 की राजस्व जमाबंदी में वादी का नाम खेमेन्द्र तंवर के स्थान पर खेमेन्द्र सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner